बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05 / 2021......5835...... **पटना, दिनांक** :– 13/05/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 50– । दिनांक 28.03.2023 द्वारा श्री सत्यम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02097) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा सर्वेक्षण कार्यो में काफी लापरवाही एवं शिथिलता बरती जा रही है, जिसके लिए बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर इनसे स्पष्टीकरण किया गया है, परन्तु इनके द्वारा संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण इनके मानदेय की कटौती भी की गयी है, इसके बाद भी इनके कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य में लापरवाही, मनमानापन एवं शिथिलता बरतने के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त आरोप के आलोक में श्री कुमार के सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2865 दिनांक 20.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि इनके द्वारा अपना कार्य पूरी लगन एवं निष्ठापूर्वक किया गया है। इनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि बाढ़ से मौजा जलमग्न हो जाने एवं रैयतों के बार–बार अनुपस्थिति के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। साथ ही कार्य में लगे अधिक समय के लिए क्षमा याचना की गयी है। साथ ही कानूनगो एवं शिविर प्रभारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं करने की बात अंकित की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कार्य में बरती गयी लापरवाही के लिए ऐन–केन–प्रकारेण बहाने बाजी करते हुए तथ्य दिया गया है। इस संबंध में उक्त जिले के लिए निदेशालय स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि आरोपित द्वारा इनको आवंटित राजस्व ग्राम–खरैता के खानापुरी कार्य में 09 माह का समय लिया गया है एवं यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा 47 दिनों में मात्र 152 खेसरा के प्रपत्र–6 की प्रवृष्टि की गयी है जबकि उक्त कार्य हेतु 45 दिनों की समयावधि निर्धारित है। साथ ही नोडल पदाधिकारी द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) से आरोपित के संबंध में पूछ–ताछ करने पर यह बात प्रकाश में आयी है कि इनके द्वारा प्रपत्र–6 की प्रविष्टि करने में आना–कानी की जा रही है एवं कार्य में प्रगति लाने के बजाय सवाल–जबाब में व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। इसके साथ ही नोडल पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। आरोपित के कथनानुसार यदि शिविर प्रभारी एवं कानूनगो द्वारा इनको सहयोग नहीं किया जा रहा था, तो इसकी सूचना बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0) को देते एवं कार्य सम्पन्न कराने की दिशा में ठोस कदम उठाते, क्योंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित एक अनुशासनहीन एवं लापरवाही कर्मी है, जिनकी लापरवाही से सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हुआ है।

कृ0पृ0उ0

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा समय–सीमा निर्धारित की गयी है। निर्धारित समय सीमा के अनुरूप ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ऐसे संविदा कर्मियों को संविदा में बनाए रखने से निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे संविदा कर्मियों के कार्य शिथिलता एवं कार्यो में बरती जा रही लापरवाही जैसे कृत्यों का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री सत्यम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02097) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक 12/7/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021 5835 **पटना, दिनांक :–** 13/07/2023
प्रतिलिपि :– श्री सत्यम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02097), बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021 5835 **पटना, दिनांक :–** 13/07/2023
प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(खगड़िया)–05/2021 5835 **पटना, दिनांक :–** 13/07/2023
प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 12/7/23